

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-105/2018/ दिनांक:-

अधीक्षक,

पी.बी.एम. एवं

सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग,

बीकानेर।

विषय:- श्रीमती ममता पुत्री सुमेर सिंह, नर्स -2 के अवकाश के सम्बन्ध में ।
सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 21451 दिनांक 21.07.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के क्रम में श्रीमती ममता पुत्री सुमेर सिंह, नर्स -2 (परिविक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्धित प्रकरण में लेख है कि कार्मिका का निदेशालय के आदेश क्रमांक 488 दिनांक 06.12.16 के द्वारा दिनांक 01.10.2016 से 28.02.17 तक का अवकाश स्वीकृत किया गया था किन्तु आप द्वारा दिनांक 16.03.16 से 25.03.16 कुल 10 दिवस एवं दिनांक 01.03.17 से 16.03.17 कुल 16 दिवस असाधारण अवकाश अवधी को सलग्न कर नहीं भिजवाया के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे एवं इसके अतिरिक्त यह प्रमाण पत्र भी भिजवावे की आवेदित अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी असाधारण अवकाश का उपभोग किया है अथवा नहीं ? का प्रमाण पत्र भी भिजवावे। सूचना भिजवाने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 22-10-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-105/2018/1451

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर